न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—हरि मोहन मीना ,आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या —122/2014 (अपील)

GCMS No.-2014/00077

1. गामवासियान चौसला, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा जर्ये
   1/1 कालूलाल भील आत्मज श्री मांगीलाल भील जाति भील
   1/2 नरेश कुमार आत्मज श्री किशनलाल जाति धाकड
   1/3 मोहनलाल आत्मज श्री लालचन्द मीणा जाति मीणा
   1/4 दुर्गालाल आत्मज श्री नन्दलाल मीणा जाति मीणा
   1/5 बजरंगलाल आत्मज श्री रतनलाल भील जाति भील

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड मोडक तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा जरिये प्रबंधक
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी, जिला कोटा

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम बनाराजगी आदेश कमांक/ भू.अ./2012/708—712 दिनांक 6.3.2012 तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थितः—

1. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री मनीष गुप्ता, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक— 09.05.2022

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है किअधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड, मोडक ने सेटलमेन्ट द्वारा बनाये गये नये राजस्व नक्शे में उनकी औद्योगिक लीज क्षैत्र में सिवायचक भूमि व अन्य खातेदारान की भूमि को दर्शाये जाने पर उसमें सुधार हेतु जिला कलक्टर कोटा को आवेदन करने पर जिला कलक्टर (भू—अभिलेख) कोटा के पत्र कमांक प.28 (1) निरी./भू अभिलेख/2012/269—70 दिनांक 2 मार्च 2012

जिला कलेक्टर
कोटा

से प्रदत्त निर्देशो की पालना में अपने आदेश कमांक/भूअ/2012/708–712 दिनांक 6.3.2012 से आदेश पारित किया है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 128, सपठित 111 के अन्तर्गत आदेश दिये कि सैटलमेन्ट द्वारा बनाये गये नये नक्शे में खसरा नम्बर 257, 258, 262, 257/1006, 259, 260, 261, 259/1004, 274, 267, 268 272, 273 ,264, 265, 274, 245,247, और 248 को सेटलमेन्ट से पूर्व के नक्शे व मौके के अनुसार सही जगह बनाकर पुख्ता किया जावें ।

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट के तहत दिनांक 5.8.2014 को पेश की गई । अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया । रेस्पो0 नं0 1 की ओर से एडवोकेट श्री मनीष गुप्ता उपस्थित । रेस्पो0 नं0 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित । उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराया ओर कथन किया है कि–कानूनन धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत केवल दो प्राईवेट पक्षकारों के मध्य भूमि क्षैत्र के सीमा विवादों को ही निस्तारित किया जा सकता है धारा 128 व111 भू–राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व नक्शे में खसरा नम्बरान की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता और ना ही धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत गांव के नक्शे में कोई परिवर्तन किया जा सकता है किंतु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन कर व उनसे परे जाते हुये रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा धारा 128 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ही पूर्णतया गलत व अवैधानिक रूप से राजस्व नक्शे में उत्तर दिशा में स्थित हाल खसरा नम्बर 257, 258, 262, 257/1006, 259, 260, 261, 259/1004, 274, को खसरा नम्बर 263 में दक्षिण दिशा में कायम करने व खसरा नम्बर 264 को दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा में व खसरा नम्बर 265 व 273 को उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में व उत्तर में स्थित खसरा नम्बर 267, 268 व 272 को दक्षिणी दिशा में कायम करने व खसरा नम्बर 245, 246, व 247 को उत्तर से दक्षिण दिशा में कायम करने का आदेश पारित कर दिया जबकि कानूनन धारा 128 के तहत केवल मामूली सीमा विवाद ही निस्तारित किया जा सकता है । हाल खसरा नम्बर 264, 265 व 273 सेटलमेन्ट पूर्व के गत खसरा नम्बर 87 से कायम किये गये है । गत खसरा नम्बर 87 राजस्व रिकार्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज है और सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा भी गत खसरा नम्बर 87 के हाल खसरा नम्बर 264265,273 गैर मु0 रास्ते के रूप में दर्ज कर राजस्व नक्शे मे भी पूर्व स्थिति व पूर्व यथा स्थान पर कायम किया गया है । गत खसरा नम्बर 87 हाल खसरा नम्बर 264 265,273, गै0मु0 रास्ता ग्राम चौसला के निवासियों का ग्राम चौसला से सोहनखेडा होते हुये रामगंजमण्डी आने जाने का रास्ता है जो प्राचीन समय से ग्राम चौसला के निवासियों के उपयोग उपभोग में आता रहा है । उक्त रास्ते से होकर ग्राम चौसला के निवासी प्राचीन समय से ही रामगंजमण्डी आते जाते रहे है उक्त

जिला कलेक्टर
कोटा

रास्ता राजस्व रिकार्ड में भी गै0मु0 रास्ता दर्ज है जो रेस्पोडेन्ट नं0 1 को कभी भी आवंटित नहीं किया गया है किन्तु रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने अपनी राजनैतिक पहुंच रसूखात व धन बल का नाजायज फायदा उठाकर आवंटित क्षैत्र से अधिक भूमि व सार्वजनिक नाले चाह व उक्त रास्ते की भूमि एवं गै0मु0 मन्दिर पर अतिक्रमण कर लिया और उसके चारों ओर जबरदस्ती व ताकत के बल पर पत्थरों की पक्की बाउण्ड्रीवाल कर व 8–10 फुट उंचा गेट लगाकर उक्त खसरा नम्बर 264, 265 273 गै0मु0 रास्ते को बंद कर दिया और फिर अपने उक्त नाजायज व अवैधानिक कृत्य को छुपाने व उसे वैधानिक दर्जा देने के नाजायज उद्देश्य से धारा 128 भू–राजस्व अधिनियक का प्रार्थना पत्र पेश कर किसी को जानकारी दिये बगैर पूर्णतया गुपचुप तरीके से अधीनस्थ न्यायालय के यहां से आदेश जैर अपील पारित करवा लिया और राजस्व नक्शे में गै0मु0 रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 264, 265,273 की स्थिति में अमूल चूल परिवर्तन करवा दिया । अधीनस्थ न्यायालय का पारित आदेश अपीलांट्स ग्रामवासियान के हक व अधिकारों के विरूद्व पूर्णतया अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः आदेश जैर अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी दिनांक 6.3.2012 निरस्त फरमाया जावे और ग्राम चौंसला के राजस्व नक्शे में हाल खसरा नम्बर 257,258, व 262, 257/1006, 259, 260, 261, 259/1004, 274, 267, 268, 272, 273, 264, 265, 245, 246, 247की स्थिति में किये गये परिवर्तन को निरस्त किया जाकर उक्त खसरा नम्बरान को उक्त आदेश से पूर्व की स्थिति के अनुसार राजस्व नक्शे में कायम किये जाने के आदेश प्रदान करें ।

4. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रार्थी कम्पनी मंगलम सीमेन्ट के लिये औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहण करके कम्पनी को कब्जा दिया गया था व तद्नुसार रेवेन्यू रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर भौतिक सत्यापन करके नक्शा तैयार करवाया गया था जिसके अनुसार प्रार्थी उक्त क्षैत्र पर काबिज है । तत्कालीन नक्शा मार्क 1 है जिसमें लाल रंग से कम्पनी को दिया गया भू–भाग प्रदर्शित है । भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सम्पन्न करवाये गये नये सेटलमेन्ट रिकार्ड अवधि 2004–2024 व राजस्व नक्शा (2001–2002) नये नक्शे को देखने व पुराने नक्शे को देखने को उस पर Superimpose करके देखने से ज्ञात हुआ कि कम्पनी के अधिकृत भूमि का क्षैत्रफल व परिवर्तित नये खसरा नम्बरान तो सही है परन्तु नक्शे में उनकी स्थिति उत्तर के स्थान पर दक्षिण में दर्ज हो गई है व दक्षिण में जो सरकारी पडत व अन्य खाते की भूमियां थी उन्हें उत्तर की तरफ दिखा दिया है जिससे भारी भ्रान्तियां उत्पन्न हो सकती है । उक्त त्रुटिपूर्ण नक्शे को दुरूस्त कराने हेतु जिलाधीश महो0 लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर को अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर जिला कलक्टर (भू–अभिलेख) कोटा के पत्र कमांक प.28 (1) निरी./भू अभिलेख/2012/269–70 दिनांक 2 मार्च 2012 से उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी को भिजवाते हुए यह आदेश

जिला कलेक्टर
कोटा

दिया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 सपठित धारा 111 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त त्रुटि को सही करने के लिए सम्बन्धित तहसीलदार सक्षम है । अतः प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं का नियमानुसार निस्तारण कर पालना अन्दर 7 योम भिजवावें । उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा अपीलाधीन आदेश से सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त किया गया है, जिसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं है । उक्त आदेश से अपीलांटगणों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है ओर ना ही अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है । इस दुरूस्ती से किसी का कोई अहित नहीं हो रहा है । मात्र कंपनी पर अनावश्यक दबाव बनाने की नियत से यह अपील प्रस्तुत की गई है जिसका कोई आधार नहीं होने से निरस्तयोग्य होने से निरस्त फरमाई जावें ।

5. हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमणे के आदेश दिनांक आदेश कमांक/ भू.अ./2012/708–712 दिनांक 6.3.2012 तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा अन्तर्गत धारा 128 एवं 111 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के विरूद्व पेश की गई है । अपीलान्ट का कथन है कि तहसीलदार को अन्तर्गत धारा 128 व 111 में सुनवाई का अधिकार नहीं है । फिर भी मंगलम सीमेन्ट द्वारा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सम्पन्न करवाये गये नये सेटलमेन्ट रिकार्ड अवधि 2004–2024 व राजस्व नक्शा (2001–2002) नये नक्शे त्रुटि होना मानते हुए उक्त त्रुटिपूर्ण नक्शे को दुरूस्त कराने हेत कार्यालय हाजा अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर जिला कलक्टर (भू–अभिलेख) कोटा के पत्र कमांक प.28 (1) निरी./भू अभिलेख/2012/269–70 दिनांक 2 मार्च 2012 से उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी को भिजवाते हुए यह आदेश दिया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 सपठित धारा 111 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त त्रुटि को सही करने के लिए सम्बन्धित तहसीलदार सक्षम है । जबकि तहसीलदार लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर नहीं होकर सेटलमेन्ट द्वारा की गई कोई भी त्रुटि को दुरूस्त करने हेतु सक्षम अधिकारी लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर उपखण्ड अधिकारी है । इसके विपरीत वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा जिला कलक्टर (भू–अभिलेख) कोटा के आदेश की पालना में यह दुरूस्ती की कार्यवाही की गई है, तथा जिससे मौके पर किसी का अहित नहीं हो रहा है ।

6. उभयपक्ष के तर्को एवं कानून का गहनता से अवलोकन किया । प्रकरण में मुख्य बिन्दु तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय के अधिकार क्षैत्र का नही होने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा कथन किया है । हमने एल0आर0एक्ट की धारा 128 एवं 111 का अवलोकन किया जिस अनुसार सीमाओं से सम्बन्धित सभी विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 से अधिकथित रीति से विनिश्चित किये जायेंगे । धारा 127 में दी गई

जिला कलेक्टर
कोटा

टिप्पणी संख्या 4 अनुसार विज्ञप्ति दिनांक 12 जून 1983 द्वारा जिला कलक्टर की शक्तियां उपखण्ड अधिकारी को प्रदत्त की हुई है अर्थात भू–अभिलेख अधिकारी उपखण्ड अधिकारी है न कि तहसीलदार, ऐसी स्थिति में हम यह उचित समझते है कि मंगलम सीमेन्ट के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में जांच कर कि क्या वाकई सेटलमेन्ट द्वारा त्रुटि की गई है, यदि त्रुटि पाई जाती है तो लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर की प्रदत्त शक्तियों के तहत कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित करने एवं यदि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा पारित निर्णय उचित है तो इसका अनुमोदन करते हुए निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी को भिजवाया जाना उचित मानते है ।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी (लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर) रामगंजमण्डी को इस आशय के साथ अग्रेषित किया जाता है कि मंगलम सीमेन्ट के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में जांच करें कि क्या वास्तव में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा त्रुटि की गई है जिसे तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 128 सपठित 111 के तहत दुरूस्त किया जाना उचित है ? यदि तहसीलदार रामगंजमण्डी का उक्त आदेश उचित है तो इसके अनुमोदन की कार्यवाही करें यदि तहसीलदार रामगंजमण्डी का निर्णय विधि सम्मत नहीं है तो लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर की प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रचलित नियमों एवं कानून के तहत सुनवाई करते हुए अधिकतम 2 माह में उचित निर्णय पारित करें ।

8. निर्णय आज दिनांक 09.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलेक्टर,कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा